बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्र संख्या–01/निर्वा0–07–01/2014 2495 **पटना, दिनांक–** 8/5/2020

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय– **COVID–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन की स्थिति में राज्य के बाहर से आने वाले अप्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का किराया के भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन की स्थिति में विभिन्न राज्यों से रेलमार्ग एवं सड़कमार्ग से वापस आनेवाले अप्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों का परिवहन उनके गृह जिला एवं पुनः प्रखण्ड/गाँव स्तर पर किया जा रहा है। जिलाधिकारियों/जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा इस कार्य में प्रयुक्त वाहनों के किराया की दर के संबंध में पृच्छा की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव, 2019 के अवसर पर अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के मुआवजे की राशि का निर्धारण विभागीय पत्रांक–1303, दिनांक–13.02.2019 द्वारा किया गया था, जिसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि राज्य के बाहर से आने वाले अप्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के भाड़े का भुगतान लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर निर्धारित दर पर करने तथा आपदा प्रबंधन शीर्ष के जनसंसख्या निष्क्रमण मद से करने एवं इस हेतु सभी जिला पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त। **विश्वासभाजन**

Liam 8/5
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2495 पटना, दिनांक– 8/5/2020

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Liam 8/5
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

136

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्र संख्या–01/निर्वा0–07–01/2014 1303 **पटना, दिनांक–** 13/2/19

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–
सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।

विषयः– लोकसभा आम चुनाव, 2019 के अवसर पर अधिगृहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के मुआवजे की राशि के निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोकसभा आम चुनाव, 2019 के अवसर पर अधिगृहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए देय दैनिक मुआवजे की राशि का दर निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

क्रम सं0	**वाहनों का प्रकार**	**दैनिक मुआवजा दर(रुपये में)**
1.	2.	3
1.	बस (50 एवं अधिक बैठान क्षमता)	2850.00
2.	बस (40 से 49 सीट)	2600.00
3.	मिनी बस (23 से 39 सीट)	1950.00
4.	मैक्सी/सीटी राईड/विंगर/ टेम्पो /ट्रैवलर एवं समकक्षीय (14 से 22 सीट)	1500.00
5.	छोटी कार (सामान्य)	800.00
6.	छोटी कार (वातानुकूलित)	900.00
7.	ट्रेकर/जीप/कमांडर/जिप्सी एवं समकक्षीय वाहन	900.00
8.	बोलेरो/सुमो/मार्शल (सामान्य)	1000.00
9.	बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित)	1200.00
10.	जाइलो/स्कारपियो/क्वालिस/टवेरा (वातानुकूलित)	1600.00
	इनोवा/सफारी (वातानुकूलित)	1700.00
11.	विक्रम/एसमैजिक/मिनीडोर/ ओमनी /फॉर्स/मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन	750.00
12.	ऑटो रिक्शा	500.00
13.	मोटर साईकिल	250.00

135

14.	भारी मालवाहक (क) सकलयान भार–12000–16200 कि0ग्रा0 (छः चक्का यान)	1950.00
	(ख) सकलयान भार–16201–25000 कि0ग्रा0 (दस चक्का यान/डम्पर)	2470.00
	(ग) सकलयान भार–25001 कि0ग्रा0 एवं उससे अधिक (दस चक्का से अधिक)	2600.00
15.	मध्यम मालवाहक/मिनी ट्रक सकलयान भार (7501–11999 कि0ग्रा0)	1300.00
16.	हल्का मालवाहक (क) सकलयान भार 3000 कि0ग्रा0 तक	715.00
	(ख) सकलयान भार–3001–7500 कि0ग्रा0 डिलीवरी भान/समकक्षीय	1100.00
17.	ट्रैक्टर–ट्रेलर	800.00
18.	ई–रिक्शा /e-Cart (Without fuel)	600.00

(i) मुआवजे की उपर्युक्त दर वाहन के ईंधन के अतिरिक्त देय होगी।
(ii) वाहनों को तिथि विशेष के पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जायगा।

विश्वासभाजन,

Liau 13/2/19
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या– 1303 पटना, दिनांक– 13/2/19

प्रतिलिपि– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Liau 13/2/19
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।